Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय का कम्प्यूटर ऑपरेटर 6 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *01 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को दिनेश कुमार राव कम्प्यूटर ऑपरेटर, (सेवा प्रदाता) लाईसेंस शाखा, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 6 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी जे.सी.बी. का रजिस्ट्रेशन करवाने की एवज में दिनेश कुमार राव कम्प्यूटर ऑपरेटर, (सेवा प्रदाता) लाईसेंस शाखा, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा 11 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चित्तौड़गढ़ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये दिनेश कुमार राव पुत्र श्री प्रभूलाल निवासी ग्राम सुलवाड़ा, तहसील व पुलिस थाना आसीन्द, जिला भीलवाड़ा हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर, (सेवा प्रदाता) लाईसेंस शाखा, कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 6 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से जरिये फोन–पे रिश्वत के 5 हजार रुपये वसूल कर लिये थे।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।